

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक:-प.17(8)/परि/2021 पार्ट I

जयपुर दिनांक 24-01-2022

स्वीकृति आदेश संख्या 14/2021-22

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा माह नवम्बर, 2021 में उपलब्ध कराई गई निःशुल्क/रियायती यात्रा की राशि 16,56,81,500.00/- रुपये (अक्षरे सौलह करोड, छप्पन लाख, इक्यासी हजार, पाँच सौ रुपये मात्र) तथा माह अक्टूबर 2021 की पुनर्भरण की राशि में से वाहन कर की रोकी गयी राशि 8,04,64,453.00/- रुपये (अक्षरे आठ करोड, चार लाख, चौसठ हजार, चार सौ तरेपन रुपये मात्र) कुल राशि 24,61,45,953.00/- रुपयें (अक्षरे चौबीस करोड, इक्सठ लाख, पैतालीस हजार, नौ सौ तरेपन रुपये मात्र) का निम्नानुसार समायोजन/भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

बजट मद जिससे राशि आहरित की जायेगी	राशि	बजट मद जिससे राशि जमा की जायेगी	राशि
3055-00-190-(12)-(01) उपमद 12	24,61,45,953.00	8443-106 RSRTC का P.D. खाता संख्या 3821	8,28,18,453.00
		माह अक्टूबर 2021 की वाहन कर की राशि	
		(I) 0041-00-102(09)-01	7,57,31,250.00
		(II) 0041-00-102(09)-02	47,33,203.00
		माह नवम्बर 2021 की वाहन कर की राशि	
		(I) 0041-00-102(09)-01	7,79,88,750.00
		(II) 0041-00-102(09)-02	48,74,297.00
योग	24,61,45,953.00	योग	24,61,45,953.00

(अक्षरे चौबीस करोड, इक्सठ लाख, पैतालीस हजार, नौ सौ तरेपन रुपये मात्र)

यह प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 102106291 दिनांक 21.01.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

ह/ (सोहनलाल मीना)
शासन उप सचिव, परिवहन

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- माननीय राज्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
- निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि 24,61,45,953.00/- रुपये (अक्षरे चौबीस करोड, इक्सठ लाख, पैतालीस हजार, नौ सौ तरेपन रुपये मात्र) का समायोजन/भुगतान उपरोक्तानुसार करने का श्रम करावें। साथ ही इस बजट मद में पूर्व में जारी की गयी राशि रुपये 15133.80 लाख का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु राशि जारी की गयी थी उसी प्रयोजनार्थ उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा अनुपयोगी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
- निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
- कोषाधिकारी, सचिवालय कोषकार्यालय, जयपुर।
- सिस्टम एनालिस्ट-विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

8
24-01-2022
शासन उप सचिव, परिवहन



राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक:-प.17(8)/परि/2021

जयपुर दिनांक 28-01-2022

स्वीकृति आदेश संख्या 15/2021-22

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा माह दिसम्बर, 2021 में उपलब्ध कराई गई निःशुल्क/रियायती यात्रा की राशि 36,64,11,427.00/- रुपये (अक्षरे छत्तीस करोड, चौसठ लाख, ग्यारह हजार, चार सौ सताइस रुपये मात्र) में से माह दिसम्बर 2021 की वाहन कर की राशि रुपये 8,34,76,641/- (अक्षरे आठ करोड, चौतीस लाख, छियेत्तर हजार, छः सौ ईकतालिस रुपये मात्र) का निम्नानुसार समायोजन/भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

बजट मद जिससे राशि आहरित की जायेगी	राशि	बजट मद जिससे राशि जमा की जायेगी	राशि
3055-00-190-(12)-[01] उपमद 12	36,64,11,427.00	8443-106 RSRTC का P.D. खाता संख्या 3821	28,29,34,786.00
		माह दिसम्बर 2021 की वाहन कर की राशि	
		(I) 0041-00-102(09)-01	7,85,66,250.00
		(II) 0041-00-102(09)-02	49,10,391.00
योग	36,64,11,427.00	योग	36,64,11,427.00

(अक्षरे छत्तीस करोड, चौसठ लाख, ग्यारह हजार, चार सौ सताइस रुपये मात्र)

उपरोक्त स्वीकृत राशि के उपयोग का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण, अनुपयोगी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाने की शर्त पर जारी की जा रही है।

यह प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 102200376 दिनांक 28.01.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

Sd/-
(सोहनलाल मीना)
शासन उप सचिव, परिवहन

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय राज्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि 36,64,11,427.00/- रुपये (अक्षरे छत्तीस करोड, चौसठ लाख, ग्यारह हजार, चार सौ सताइस रुपये मात्र) का समायोजन/भुगतान उपरोक्तानुसार करने का श्रम करावें। साथ ही इस बजट मद में पूर्व में जारी की गयी राशि रुपये 17595.26 लाख का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु राशि जारी की गयी थी उसी प्रयोजनार्थ उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा अनुपयोगी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
11. कोषाधिकारी, सचिवालय कोषकार्यालय, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग का प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

8
28/01/2022
शासन उप सचिव, परिवहन